# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

## राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 71/2016

1. किशना वल्द श्री माधू जाति बैरवा निवासी बड़गांव पटवार हल्का बड़गांव भू–अभिलेख क्षेत्र बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. शैतान पुत्र श्री तेजू जाति बैरवा निवासी ग्राम चूरली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. हेमराज पुत्र श्री तेजू जाति बैरवा निवासी ग्राम चूरली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. सीता पुत्री श्री तेजू जाति बैरवा निवासी ग्राम चूरली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. तेजू पुत्र श्री हीरा जाति बैरवा निवासी ग्राम चूरली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. मनभर देवी पत्नि श्री कानाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम चूरली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
6. मनोहर देवी पत्नि श्री गोपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम चूरली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
7. नोरती देवी पत्नि श्री शिवराम जाति बैरवा निवासी ग्राम चूरली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
8. दिलीप कुमार पुत्र श्री नवरतनमल कांकनिया जाति ओसवाल जैन निवासी महावीर कॉलोनी, पुष्कर रोड़, अजमेर राज0
9. अशोक कुमार पुत्र श्री उमरावमल जालोरी जाति ओसवाल जैन निवासी महावीर कॉलोनी, पुष्कर रोड़, अजमेर राज0
10. सुनिल दत्त पुत्र श्री मुसद्दीलाल जाति अग्रवाल निवासी प्लाजा रोड़, डिग्गी चौक, अजमेर राज0
11. सत्यनारायण पुत्र श्री रामकिशन जाति यादव निवासी पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
12. भोलू पुत्र श्री रामकिशन जाति यादव निवासी पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
13. मोहन सिंह पुत्र श्री कान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बड़गांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
14. सूरज सिंह पुत्र श्री कान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बड़गांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
15. श्योजी सिंह पुत्र श्री कान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बड़गांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
16. जय सिंह पुत्र श्री कान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बड़गांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
17. उम्मेद कंवर पत्नि स्व0 श्री कान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बड़गांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
18. कल्याणमल पुत्र श्री राजूराम जाति प्रजापत निवासी ग्राम बड़गांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
19. कैलाशपुरी पुत्र श्री जगदीशपुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम डीडवाड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0



उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

प्लाजा रोड, डिग्गी चौक, अजमेर (राज0)

20. जगदीशपुरी श्री मोहनपुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम डीडवाड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
21. धापू बेवा मोहनपुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम डीडवाड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
22. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः 05/08/2022

उपस्थितः श्री परमानन्द शर्मा — प्रार्थी अभिभाषक
श्री रूपक शर्मा — अप्रार्थीगण सं0 10
पैरोकार सरकार — अप्रार्थी सं0 22

## निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जरिये वकील श्री परमानन्द शर्मा के माध्यम से राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111, 128 के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण वास्ते सीमाओं की पत्थरगढ़ी करवाने बाबत् न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 199 रकबा 07–05–00 व ख0नं0 201/3 रकबा 04–04–00 भूमि वाकै ग्राम बड़गांव पटवार हल्का बड़गांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के उत्तर दिशा में अप्रार्थी सं0 1 से 7 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि ख0नं0 198 रकबा 16–15–00 भूमि जो औद्योगिक रूपान्तरित भूमि है वह स्थित है तथा उक्त भूमि को अप्रार्थी सं0 8 से 10 के द्वारा खरीद लिये जाने की जानकारी प्रार्थी को प्राप्त हुई है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पश्चिम दिशा में ख0नं0 200, 201/1, 201/2 व 203 की भूमि स्थित है। ख0नं0 200 की भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं0 11 व 12 के नाम दर्ज है। ख0नं0 201/2 की भूमि सरकारी भूमि है तथा ख0नं0 203 राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं0 13 से 17 के नाम दर्ज है व दक्षिण दिशा में ख0नं0 202 की भूमि है जिसका बंटवारा होकर नये ख0नं0 202/1 बने है उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं0 18 के नाम दर्ज है तथा पूर्व दिशा में ग्राम डीडवाड़ा पटवार हल्का डीडवाडा के ख0नं0 12 जो अप्रार्थी सं0 19 के नाम दर्ज है व ख0नं0 13 जो अप्रार्थी सं0 20 से 21 के नाम दर्ज है की भूमि स्थित है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थी की प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसके तहत् दिनांक 10.06.2015 को हल्का पटवारी सीमाज्ञान करने हेतु मौके पर गया था परन्तु प्रार्थी की भूमि की सीमाओ का मौके व नक्शे से मिलान नहीं होने के कारण सीमाज्ञान नहीं हो सका था। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 199



उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

रकबा 07–05–00 भूमि के उत्तर दिशा में ख0नं0 198 की भूमि स्थित है जिसके मालिको के द्वारा प्रार्थी की भूमि को क्रय करने का प्रस्ताव दिसम्बर 2015 में रखा था। प्रार्थी के द्वारा मना करने पर प्रार्थी की भूमि पर दिनांक 08.12.2015 को आये तथा प्रार्थी की भूमि पर जबरन घुसकर कब्जा कर नीव खोदकर दीवार का निर्माण करने व करवाने की धमकी दी गई, उक्त के बाद दिनांक 12.12.2015 को प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर नीव खोदना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थी के द्वारा मना करने पर नहीं माने तथा कहा कि हमारी भूमि यहा तक आती है तथा प्रार्थी के मना करने के बावजूद भी नीव खोद दी गई। प्रार्थी की भूमि का विधिक रूप से सीमाज्ञान नहीं होने के कारण उक्त का गलत फायदा लेकर ख0नं0 198 के मालिको के द्वारा प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया तथा प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा कारित की है। ख0नं0 198 के मालिको के द्वारा भूमि की सीमाओ का मौके व नक्शा के अनुसार मिलान नहीं होने के कारण सीमाज्ञान नहीं हो पाने के कारण उक्त का दुरूपयोग कर प्रार्थी की भूमि पर अवैध कृत्य कर विवाद करने के कारण प्रार्थी के द्वारा प्रार्थी की प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का नाप चौक करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थना पत्र पेश करने का वाद कारण दिनांक 10.06.2015, दिनांक 08.12.2015 व दिनांक 12.12.2015 को उत्पन्न होने से वाद करण निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम बड़गांव पटवार हल्का बड़गांव भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ स्थित ख0नं0 199 रकबा 07–05–00 व ख0नं0 201/3 रकबा 04–04–00 भूमि का नाप चौप कर पत्थरगढ़ी करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थीगण को नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह **(Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4)** के तहत् जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1 से 9 व 11 से 20 बावजुद नोटिस तामीली के उपस्थित नहीं हुए इस कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर जवाब बन्द किया गया तथा अप्रार्थी सं0 21 की मृत्यु होने तथा उनके वारिसान पूर्व से अप्रार्थी सं0 19 व 20 के रूप में पक्षकार सुनियोजित होने के कारण अप्रार्थी सं0 21 का नाम तर्क किया गया। अप्रार्थी सं0 10 की ओर से वकील श्री रूपक शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रारम्भिक आपत्ति के प्रस्तुत किया गया।

4.1 अप्रार्थी सं0 10 द्वारा अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है तथा जिन दस्तावेजों का हवाला उक्त प्रार्थना पत्र में दिया गया है, उनकी नकले



उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उत्तरकर्ता अप्रार्थी सं0 10 को या अधिवक्ता अप्रार्थी को उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रार्थी द्वारा स्पष्ट अभिवचन अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं कर ख0नं0 198 जिसका औद्योगिक संपरिवर्तन किया जाकर विभिन्न क्रेताओं द्वारा उक्त खसरा नम्बर का अलग–अलग भाग क्रय कर लिया है, ऐसी स्थिति में ख0नं0 198 के किस भाग के स्वामी की भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के लगवा है तथा किस भाग के मालिक द्वारा प्रार्थी के कब्जे की भूमि पर अतिक्रमण कर नींव खोदने का कार्य किया है, यह सभी तथ्य प्रार्थना पत्र में नहीं लिखे गये है। ऐसी स्थिति में अस्पष्ट अभिवचनों के आधार पर तथा अनावश्यक पक्षकार बनाये जाने के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विशिष्ठ खर्चे सहित खारिज योग्य है। उत्तरकर्ता अप्रार्थी सं0 10 ने प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की है तथा अपने क्रयशुदा औद्योगिक भूखण्ड पर बरवक्त खरीद से तारबन्दी कर काबिज है, जो प्रार्थी के कथित खसरा नम्बर 199 व 201/3 के लगता हुआ नहीं है। प्रार्थी द्वारा ख0नं0 198 के मालिको के नाम का उल्लेख नहीं किया है तथा मालिको में प्रार्थी की कथित भूमि ख0नं0 199 व 201/3 के पड़ौसी कौन है, उल्लेख नहीं किया है। उत्तरकर्ता को अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है, क्योंकि उत्तरकर्ता की भूमि के मध्य व प्रार्थी की भूमि के मध्य अन्य व्यक्तियों की भूमि है। अप्रार्थी सं0 10 को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है तथा अविधिक दबाव बनाया जा रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उत्तरकर्ता अप्रार्थी सं0 10 के विरूद्ध सव्यय विशिष्ठ खर्चे सहित खारिज किये जाने योग्य है।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 199 रकबा 07–05–00 व ख0नं0 201/3 रकबा 04–04–00 भूमि वाकै ग्राम बड़गांव पटवार हल्का बड़गांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थी की प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसके तहत् दिनांक 10.06.2015 को हल्का पटवारी सीमाज्ञान करने हेतु मौके पर गया था परन्तु प्रार्थी की भूमि की सीमाओ का मौके व नक्शे से मिलान नहीं होने के कारण सीमाज्ञान नहीं हो सका था। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 199 रकबा 07–05–00 भूमि के उत्तर दिशा में ख0नं0 198 की भूमि स्थित है जिसके मालिको के द्वारा प्रार्थी की भूमि को क्रय करने का प्रस्ताव दिसम्बर 2015 में रखा था। प्रार्थी के द्वारा मना करने पर प्रार्थी की भूमि पर दिनांक 08.12.2015 को आये तथा प्रार्थी



उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

की भूमि पर जबरन घुसकर कब्जा कर नीव खोदकर दीवार का निर्माण करने व करवाने की धमकी दी गई, उक्त के बाद दिनांक 12.12.2015 को प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर नीव खोदना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थी के द्वारा मना करने पर नहीं माने तथा कहा कि हमारी भूमि यहा तक आती है तथा प्रार्थी के मना करने के बावजूद भी नीव खोद दी गई। प्रार्थी की भूमि का विधिक रूप से सीमाज्ञान नहीं होने के कारण उक्त का गलत फायदा लेकर ख0नं0 198 के मालिको के द्वारा प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया तथा प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा कारित की है। ख0नं0 198 के मालिको के द्वारा भूमि की सीमाओ का मौके व नक्शा के अनुसार मिलान नहीं होने के कारण सीमाज्ञान नहीं हो पाने के कारण उक्त का दुरूपयोग कर प्रार्थी की भूमि पर अवैध कृत्य कर विवाद करने के कारण प्रार्थी के द्वारा प्रार्थी की प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का नाप चौक करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम बड़गांव पटवार हल्का बड़गांव भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ स्थित ख0नं0 199 रकबा 07–05–00 व ख0नं0 201/3 रकबा 04–04–00 भूमि का नाप चौप कर पत्थरगढ़ी करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया।

4.2 वकील अप्रार्थी सं0 10 द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है तथा जिन दस्तावेजों का हवाला उक्त प्रार्थना पत्र में दिया गया है, उनकी नकले उत्तरकर्ता अप्रार्थी सं0 10 को या अधिवक्ता अप्रार्थी को उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रार्थी द्वारा स्पष्ट अभिवचन अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं कर ख0नं0 198 जिसका औद्योगिक संपरिवर्तन किया जाकर विभिन्न क्रेताओं द्वारा उक्त खसरा नम्बर का अलग–अलग भाग क्रय कर लिया है, ऐसी स्थिति में ख0नं0 198 के किस भाग के स्वामी की भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के लगवा है तथा किस भाग के मालिक द्वारा प्रार्थी के कब्जे की भूमि पर अतिक्रमण कर नींव खोदने का कार्य किया है, यह सभी तथ्य प्रार्थना पत्र में नहीं लिखे गये है। ऐसी स्थिति में अस्पष्ट अभिवचनों के आधार पर तथा अनावश्यक पक्षकार बनाये जाने के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विशिष्ठ खर्चे सहित खारिज योग्य है। प्रार्थी द्वारा ख0नं0 198 के मालिको के नाम का उल्लेख नहीं किया है। उत्तरकर्ता को अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है, क्योंकि उत्तरकर्ता की भूमि के मध्य व प्रार्थी की भूमि के मध्य अन्य व्यक्तियों की भूमि है। अप्रार्थी सं0 10 को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है तथा अविधिक दबाव बनाया जा रहा है।



उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उत्तरकर्ता अप्रार्थी सं0 10 के विरूद्ध सव्यय विशिष्ठ खर्चे सहित खारिज किये जाने योग्य है।

6. हमारे द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2068–2071 ग्राम बड़गांव पटवार हल्का बड़गांव खाता संख्या नया 45 पुराना 38 के अनुसार प्रार्थी प्रस्तावित भूमि ख0नं0 199 रकबा 07–05–00 व ख0नं0 201/3 रकबा 04–14–00 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड अनुसार एकल खातेदार है। सलंग्न राजस्व मानचित्र जो हल्का पटवारी बड़गांव द्वारा क्रमांक 22 दिनांक 21.04.2016 को जारी किया गया है, उसमे इस ख0नं0 199 व ख0नं0 201/3 का स्पष्ट अंकन है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन एवं उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को 2000/– रूपये फीस पर कमिनश्र नियुक्त किया जाकर ग्राम बड़गांव पटवार मण्डल बड़गांव तहसील किशनगढ़ स्थित एकल खातेदारी भूमि ख0नं0 199 रकबा 07–05–00 व ख0नं0 201/3 रकबा 04–14–00 भूमि का राजस्व मानचित्र/जमाबन्दी में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार सम्बन्धित पक्षकारान् कि उपस्थिति में सीमाकंन कर पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा कराने पर पालना हेतु तहरीर जारी होवे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 05/08/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)